

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 12(5) ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/2010 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

10 APR 2013

विषय: महात्मा गांधी नरेगा योजना में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने के क्रम में।

प्रसंग: इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.12 एवं पत्र क्रमांक एफ 10(9) ग्रावि/नरेगा/सहायक कार्यक्रम अधि./2010/पार्ट-1 दिनांक 31.01.2013, समसंख्यक पत्र दिनांक 15.02.2013, 04.03.2013, 13.03.2013 एवं 28.03.2013


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 15.02.2013 की बिन्दु संख्या 3 द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि श्रमिकों को 100 दिवस से अधिक का रोजगार देने के कारण संविदा कार्मिक से राशि वसूल करने के कारण कार्मिकों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने से वंचित नहीं किया जावे। विभाग के पत्र दिनांक 04.03.2013 द्वारा भी आंतरिक अंकेक्षण दल द्वारा बकाया निकाली गई राशि को वसूल कर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश भी दिये गये है। पुनः विभाग के पत्र दिनांक 13.03.2013 द्वारा यह निर्देश दिये गये कि एमआईएस फीडिंग में गलती के कारण 100 दिन से अधिक रोजगार देने के संबंध में बकाया निकाली गई राशि के विरुद्ध संविदा कार्मिक द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण का अविलम्ब ध्यान पूर्वक परीक्षण किया जावे। कार्मिक को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर अभ्यावेदन पर 3 दिवस में निर्णय किया जावे। इस पत्र के माध्यम से यह भी निर्देश दिये गये है कि अनुभव प्रमाण पत्र शीघ्र जारी किये जावे।

विभाग के ध्यान में यह तथ्य आया है कि अभी भी संविदा कार्मिकों को अनुभव प्रमाण पत्र समय पर जारी नहीं किये जा रहे है। इसे राज्य सरकार ने बहुत गम्भीरता से लिया है। अतः इस संबंध में पुनः निर्देश दिये जाते है कि संविदा कार्मिकों को अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 10.04.2013 तक आवश्यक रूप से जारी कर दिये जावे। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं करें। यदि किसी संविदा कार्मिक द्वारा वसूली के विरुद्ध अभ्यावेदन पेश किया

जाता है तो उस अभ्यावेदन का गहनता से परीक्षण करें। प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए, अभ्यावेदन का निस्तारण 3 दिवस में आवश्यक रूप से करें। यह सुनिश्चित करें कि अभ्यावेदन के निस्तारण में विलम्ब के कारण किसी भी संविदा कार्मिक को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने में विलम्ब नहीं हो। यह भी ध्यान रखा जावे कि संविदा कार्मिक के विरुद्ध बकाया निकाली गई राशि का परीक्षण कर लिया गया है तथा बकाया निकाली गई राशि सही है।

भवदीय,




(सी.एस. राजन)

अति. मुख्य सचिव

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
- 5 अति. आयुक्त प्रथम/द्वितीय, ईजीएस जयपुर।
- 6 परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस जयपुर।
- 7 वित्तीय सलाहकार, ईजीएस, जयपुर।
- 8 अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
- 9 रक्षित पत्रावली।



अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस